



सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

## भारतीय सर्वेक्षण विभाग

# SURVEY OF INDIA



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
DEPARTMENT OF  
SCIENCE & TECHNOLOGY  
1971-2021



दूरभाष Telephone: 03842-268911, 268555, 268132

कार्यालय Office: 03842-268555, 268132

ई-मेल E-mail : tmmz.gdc soi@gov.in

त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र  
Tripura, Manipur & Mizoram Geo-Spatial Data Centre  
5वाँ माला, केन्द्रीय सदन, 5<sup>th</sup> Floor, Kendriya Sadan  
चिरूकांदी रोड, तारापुर, Chirukandi Road, Tarapur,  
सिलचर 788003 Silchar-788003 (असम) (Assam)

### त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, सिलचर का नेमी आदेश

**संख्या:- 01 /37-जी-7 दिनांक:- 10 मई, 2022**

#### 1. नगदी को संभालना भत्ता (कैश हैंडलिंग एलाउन्स) :-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं. 14-3-78- एस.एम.पी. - । दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंसन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) का कार्यालय ज्ञापन सं. 04.05.1997- स्थापना (वेतन - II) दिनांक 05.05.1998 के अधीन निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई विवरणानुसार खजांची का कार्य करने के लिए नकदी लेनदेन भत्ता प्रदान किया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम                            | अवधि                    | कैश हैंडलिंग एलाउन्स की राशि | टिप्पणी |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| 1        | श्री चिरंजीवी कुमार,<br>अवर श्रेणी लिपिक | 01.04.22 से 31.03.23 तक | ₹700/- प्रति माह             |         |

#### 2. अस्थायी कर्मचारियों की सेवा को जारी रखना :-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं. 23-28/89-सर-1 दिनांक 10.05.1973 जो कि भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं. आर-18247/1442 दिनांक 21.05.1973 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ , इसके अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर निम्नलिखित अस्थाई कर्मचारी को 01.03.2022 से 28.02.2023 तक आगामी एक वर्ष के अवधि के लिए अथवा अन्य आदेश जारी किये जाने तक, जो भी पहले हो, निरंतर सेवा में बने रहने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | नाम एवं | एम.टी.एस. (ट्रेनी) के पद पर Re-designate किये जाने की | अवधि | अभियुक्ति |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|------|-----------|
|          |         |                                                       |      |           |

|   | पदनाम         | तिथि       |                             |   |
|---|---------------|------------|-----------------------------|---|
| 1 | श्री गणेश साव | 09-07-2019 | 01.03.2022 से<br>28.02.2023 | - |

इस विषय में अतिरिक्त व्यय वर्ष 2022-2023 के लिए संस्वीकृति बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

**3. सेवा निवृत्ति :-**

इस केन्द्र मे निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से सेवा-निवृत्त हो गये है:-

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम                                     | कार्यालय                                                    | सेवानिवृत्त होने की तारीख |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | श्री अताब उद्दीन बरभूईया<br>एम.टी.डी. (Spl. Gde.) | त्रिपुरा,मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, सिलचर | 31.03.2022                |

**4. अस्थायी कर्मचारियों की सेवा को जारी रखना :-**

इस निदेशालय के निम्नलिखित पद पर पदस्थापित अस्थायी Group "C" (Ministerial) स्थापना एवं एम.टी.एस. कर्मचारियों को 01.03.2022 से 28.02.2023 तक आगामी एक वर्ष के अवधि के लिए अथवा अन्य आदेश जारी किये जाने तक जो भी पहले हो, निरंतर सेवा में बने रहने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम                            | वेतन मैट्रिक्स | अवधि                     | अभियुक्ति |
|----------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| 1        | श्री चिरंजीवी कुमार,<br>अवर श्रेणी लिपिक | लेवल - 2       | 01.03.2022 से 28.02.2023 | -         |
| 3        | मो० आरिफ,<br>एम.टी.एस.                   | लेवल - 1       | 01.03.2022 से 28.02.2023 | -         |

इस विषय में अतिरिक्त व्यय वर्ष 2022-2023 के लिए संस्वीकृतिबजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

**5. पदोन्नति एवं स्थानांतरण :-**

निम्नलिखित सर्वेक्षको को स्थानांतरण पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये तिथि से अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 मे नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम     | किस कार्यालय से स्थानांतरित हुए                | पदोन्नति एवं स्थानांतरण तिथि | प्राधिकार                                                                            |
|----------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | श्री प्रदीप सिंह, | पूर्वी उ० प्र० भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, लखनऊ | 20.04.2022                   | भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. स्था.01-1610/ 579-रुल्स / एल.डी.सी.ई. दिनांक 28- |

|   |                                               |                                                                      |            |                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | अधिकारी<br>सर्वेक्षक                          |                                                                      |            | 03-2022.                                                                                             |
| 2 | श्री रंजीत<br>कुमार,<br>अधिकारी<br>सर्वेक्षक  | बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा<br>केन्द्र, पटना                             | 20.04.2022 | भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. स्था.01-<br>1610/ 579-रुल्स / एल.डी.सी.ई. दिनांक 28-<br>03-2022. |
| 3 | श्री ता. विमल<br>राज,<br>अधिकारी<br>सर्वेक्षक | त.,पु.एवं अं. और नि. द्वीपसमूह,<br>भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, चेन्नई | 28.04.2022 | भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. स्था.01-<br>1610/ 579-रुल्स / एल.डी.सी.ई. दिनांक 28-<br>03-2022. |

- I. उपरोक्त कर्मचारियों को नए-वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर. 22(1)ए(1) के अन्तर्गत विकल्प देना अनिवार्य है ।
- II. उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है ।
- III. उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।
- IV. उपरोक्त कर्मचारियों को भारत के महासर्वेक्षक द्वारा सूचित "Fundamentals of Survey Engineering" कार्य में प्रशिक्षण लेना होगा । अगर वे इस प्रशिक्षण में सफलता पूर्वक उत्तीर्ण नहीं होते हैं , तो उन्हें 6 महीने के लिये **relegate** किया जायेगा, अगर फिर भी सफल नहीं होते तो उनको मूल पद पर वापस किया जाएगा ।
- V. उपरोक्त कर्मचारी दो साल के लिए **Probation Period** पर रहेंगे । इस अवधि के लिय उनके कार्य का मूल्यांकन रिपोर्ट भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय को भेजा जायेगा ।
- VI. इस विषय में अतिरिक्त व्यय वर्ष 2022-2023 के लिए संस्वीकृति बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

**6. पदोन्नति एवं स्थानांतरण :-**

निम्नलिखित सर्वेक्षको को स्थानांतरण पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये तिथि से अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 मे नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम                     | किस कार्यालय से स्थानान्तरित हुए                                | पदोन्नति / स्थानांतरण का तिथि | प्राधिकार                                                                                |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | श्री लावन्य<br>राजवार,<br>अधिकारी | मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-<br>स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, शिलांग | 13/04/2022                    | भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं.सी-<br>1384/707(संग्रह-50) दिनांक<br>03/03/2022 |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| सर्वेक्षक |  |  |  |
|-----------|--|--|--|

- I. उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है ।
- II. उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।
- III. इस विषय में अतिरिक्त व्यय वर्ष 2022-2023 के लिए संस्वीकृति बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

**7. स्थानांतरण पर गये:-**

इस केन्द्र मे निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारीस्थानांतरण पर गये :-

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम                               | किस कार्यालय में स्थानांतरित हुए                            | स्थानांतरण तिथि | अधिकारी / कर्मचारी                                                                      |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | श्री भरत कुम्भार<br>अधीक्षक सर्वेक्षक       | ओड़िशा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, भुवनेश्वर                 | 08.04.2022      | भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. स्था. 01-950/701-प्लेसमेंट कमीटी दिनांक 24-02-2022. |
| 2        | श्री सुरजीत पुरकायस्थ,<br>अधिकारी सर्वेक्षक | असम एवं नागालैण्ड भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, गुवाहाटी       | 09.05.2022      | भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. स्था.1-2186/1466-अधिकारी दिनांक 26-04-2022.         |
| 3        | श्री सुजीत कुमार<br>मजुमदार, सर्वेक्षक      | मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, शिलांग | 30.03.2022      | भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. सी.-1384/707-(संग्रह-78) दिनांक 03-03-2022.         |
| 4        | श्री दीपक कुमार,<br>अवर श्रेणी लिपिक        | महासर्वेक्षक का कार्यालय,<br>देहरादून                       | 08.04.2022      | भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. स्था.2-87/1979-अधिकारी दिनांक 16-03-2022.           |

(डॉ. एम स्टेलिन)

निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. भारत के महासर्वेक्षक को सूचनार्थ।
2. सभी अपर महासर्वेक्षक/निदेशकों को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता को सूचनार्थ।
4. वेबसाइट पर अपलोड हेतु वेब-एडमिन को ई-मेल द्वारा प्रेषित।